न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 43/2018 G.C.M.S. No. 2018/00337 दर्ज दिनांक : 14.08.2018

अपीलार्थिगणः

पीर सिंह वल्द थान सिंह जाति राजपूत निवासी कवराड़ा तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. ग्राम पंचायत कवराडा जरिए सरपच ग्राम पंचायत कवराडा पंचायत समिति आहोर
2. भूमिधारी जरिए तहसीलदार तहसील आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2016 अनवान पीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत कवराडा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2018

पैरोकारः–

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 05.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2016 अनवान पीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत कवराडा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2018 आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

मौजा कवराडा के पुराने खसरा संख्या 408/4, 408/5, 408/7, 408/1, 408/2, 408/3, 408/6, 408/8 कुल खसरा 08 कुल रकबा 92 बीघा 19 बिस्वा के रि सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे के तहत वर्तमान खसरा संख्या 420, 424, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 439 बनाये गये। खसरा संख्या 439 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म चाही ग्राम पंचायत के खाते में गलत दर्ज है। दावा पेश होने के बाद पत्रावली प्रतिवादी के लिए जवाब में चल रही थी तथा दिनांक 15.12.2017 को तारीख पेशी पर अन्तिम अवसर जवाबदावा पेश करने के लिए दिया। दिनांक 15.06.2018 को पत्रावली कवराडा पंचायत मुख्यालय पर पेश करवायी ओर अपीलांट को घर से बुलाकर आर्डर पर साईन करवा दिए। दिनांक 15.06.2018 को पंचायत मुख्यालय पर राजीनामा में कोई चर्चा नहीं हुई। राजीनामा न होने के स्थिति में आगे तारीख पेशी दी जानी चाहिए थी। इस आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का खुलम खुला उल्लघन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सादिर की है। उक्त भूमि पर अपीलांट कब्जा है इसकी जांच किए बिना दावे को खारिज करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त कर पत्रावली नए सिरे से सुनवायी के लिए प्रतिप्रेषित करावें

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा कवराडा के खसरा संख्या 439 रकबा 0.57 हैक्टर में खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि खसरा संख्या 439 के पुराने खसरा नम्बर गोचर नहीं था, नए सिरे से ग्राम पंचायत के खाते में गोचर अंकित करते हुए दर्ज की है, जबकि मौके पर अपीलांट काबिज काश्त है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट कैम्प में त्वरित न्याय प्रदान कराने की मंशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के विवेचन एवं मिलान क्षेत्रफल एवं तहसीलदार आहोर के अवलोकन से स्पष्ट है कि नवीन खसरा संख्या 439 के पुराने खसरा संख्या 415 है जबकि पुराने खसरा संख्या 415 वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं रहे है अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 439 की आराजी कभी भी वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है अतः

वादी उक्त आराजी के संबंध में कानूनन खातेदारी अधिकारों का घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है साथ खसरा संख्या 439 गैर मुमकिन गौचर भूमि है तथा ऐसी भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है जिनमे न तो खातेदारी अधिकार सर्जित होते है न ही खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जा सकती है। अतः वादी का वादपत्र उक्त अधिनियम की धारा 16 से वर्जित होने से वाद उक्त विधि से वर्जित है लिहाजा वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आरम्भतः काबिल खारिज था। अतः हमारे विनम्र मत में विचारण न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनन कोई भूल नहीं की है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली